प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 30.07.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 30.07.2025 को अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना बकेवर

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बकेवर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.02.2001 को वादी ओम नारायण पुत्र रुप नारायण निवासी महेवा मन्दिर थाना बकेवर जनपद इटावा नें अभियुक्तगणों द्वारा धोखधड़ी करके जीप को बेचने हेतु बतौर बयाना के 43,000/- रुपये ले लेना व जीप न देने के संबंध में थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0-51/2021 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 भरत सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एपीओ श्रीमती मीरा रानी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त को आज दिनांक 30.07.2025 अन्तर्गत धारा 406 भादवि में **मा0 न्याया0 एसीजेएम-4, इटावा** द्वारा **02 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सतीश कुमार पुत्र विश्राम सिंह निवासी नगला रामसुन्दर थाना बलरई जनपद इटावा।**